

अपील 901-PBR-15

द्वितीय अपील क्रमांक/2015

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल, ग्वालियर (म.प्र.) के समक्ष (कैम्प 35/15)

अपीलार्थी

:- महावीर इन्टरप्राइजेस तर्फे पार्टनर
श्री राजेश मेहता
वर्तमान पार्टनर
श्री दीपक पिता श्री नानकराम कालरा
आयु: वयस्क, धंधा-व्यापार
निवासी: श्रीराम नगर, आर.टी.ओ.रोड,
इन्दौर (म.प्र.)

अपीलार्थी के अधीन
श्री राजेश मेहता
वर्तमान पार्टनर
श्री दीपक पिता श्री नानकराम कालरा
आयु: वयस्क, धंधा-व्यापार
निवासी: श्रीराम नगर, आर.टी.ओ.रोड,
इन्दौर (म.प्र.)

प्रत्यर्थीगण

विरुद्ध

27-4-15

:- (1) मध्यप्रदेश शासन द्वारा
उप पंजीयक जिला इन्दौर
(2) श्रीमती कस्तुरीबाई सुखराम
खंडेलवाल ट्रस्ट तर्फे अध्यक्ष श्री गोविन्द
पिता स्व. श्री तुलसीराम खंडेलवाल,
निवासी: 23, गुलमोहर कॉलोनी,
इन्दौर (म.प्र.)

अपील अंतर्गत धारा 47(ए)(5) भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899

अपीलार्थी की ओर से सविनय निवेदन हैं कि :-

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रथम अपीलीय न्यायालय श्रीमान् आयुक्त संभाग, इन्दौर के द्वारा दिनांक 04.03.2015 को अपील क्रमांक 18/अपील/स्टाम्प/2011-12 में पारित आदेश से व्यथित होकर की गई हैं ।

अद्विगत.....2.

For Mahaveer Enterprises

Partner

for
Advocate

A 901-PBR/75

17-4-18

DD

श्री
आवेदकपत्र व उनके अधिवक्ता दिनांक 20-10-16
से लगातार सूचना उपरोक्त अनुपादित। आवेदकपत्र
व अधिवक्ता को तीन बार पुकारा लगावाई गई,
परन्तु उनकी ओर से कोई इशारा नहीं। उक्त
आवेदकपत्र का अनुपादित में अद्यपि
में खारिज किया जाता है।

अध्यक्ष

[क. 1. 3]

[Handwritten signature]